



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 540]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017—आश्विन 18, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इक्सठ-लोसे-पी.एस.जी.-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (2)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (3)	प्रथम अपील पदनाम (4)	प्रथम अपील पदनाम के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (5)	द्वितीय अपील पदनाम (6)	द्वितीय अपील पदनाम (7)
2.32	संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक को पंजीयन प्रदान किया जाना।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस।	उप श्रम आयुक्त	45 कार्य दिवस।	अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त।	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव।

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इक्सठ-लोसे प्र-पी.एस.जी.-42.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मदरसा बोर्ड की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (2)	पदाधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
42.1	मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिए बोर्ड से मान्यता.	संबंधित जिला अधिकारी.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित आनलाईन/आफलाईन द्वारा बोर्ड में भेजने हेतु 45 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.
42.2	मदरसा मान्यता का नवीनीकरण.	सचिव, म. प्र. मदरसा बोर्ड.	जिला शिक्षा अधिकारी से निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आनलाईन/आफलाईन प्राप्त होने पर पंजीयन एवं नवीन मान्यता जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(स) कमी की पूर्ति बोर्ड में प्राप्त होने पर मान्यता का नवीनीकरण जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस.			
42.3 समिति पंजीयन	सचिव, म. प्र. मदरसा बोर्ड.	आनलाईन आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्डकापी निर्धारित सहपत्रों सहित बोर्ड को प्राप्त होने के पश्चात् समिति पंजीयन कर प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.	
42.4 समिति का नवीनीकरण.	सचिव, म. प्र. मदरसा बोर्ड.	(अ) आनलाईन आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्डकापी निर्धारित सहपत्रों सहित बोर्ड को प्राप्त होने पर पदाधिकारी पूर्वानुसार होने की स्थिति में समिति नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस. (ब) बिन्दु क्रमांक-अ के अन्तर्गत पदाधिकारी पूर्वानुसार नहीं होने की स्थिति में ठहराव प्रस्ताव मंगाने हेतु 30 कार्य दिवस. (स) बिन्दु क्रमांक -ब की कमी पूर्ति होने के उपरान्त 30 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-20.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी/एम.पी. ट्रायफेक के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु

20.8	आशय पत्र जारी करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/आईआईडीसी.	15 कार्य दिवस (विधिवत् पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.9	आवंटन आदेश जारी करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/आईआईडीसी.	7 कार्य दिवस (आशय पत्र में विहित शर्तों की पूर्ति होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.10	पट्टा अभिलेख का निष्पादन.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/आईआईडीसी.	30 कार्य दिवस (आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति सहित).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.11	आधिपत्य प्रदान करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/आईआईडीसी.	07 कार्य दिवस (पट्टा अभिलेख के पंजीयन होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.12	म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी के अधीन नगरीय क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कोर्पोरेशन (ग्वालियर) एम. पी.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	15 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमि. /प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव,

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्यवंत्र द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निमानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्यवंत्र की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.2	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 8 के अंतर्गत बायलर का निरीक्षण.	निरीक्षण बायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	17 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.
38.3	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन.	निरीक्षण बायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.
38.4	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों का अनुमोदन.	निरीक्षण बायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इक्सर-लोसे प्र-पी.एस.जी.-05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग
की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.9	ट्रेड लाइसेंस	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभियान.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.
		आयुक्त, नगर पालिका निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका निगम क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.
5.10	नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण (वृक्षों को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसके व्यय) की अनुज्ञा अभिप्राप्त करना.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभियान.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.
		वृक्ष अधिकारी नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.11 नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण नियम में अनुमति प्राप्त वनोपज़ के लिये अभिवहन पास.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.	
	वृक्ष अधिकारी नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.